>

Title: Need to review and enhance the amount of Pension given to the beneficiaries under the Employees Pension Scheme 1995.

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): पेंशन योजना 1995 के सदस्य योजना द्वारा दिए गए न्यूनतम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं । इस पेंशन को मंहगाई संरक्षित नहीं किया गया है । इसका असली मूल्य मंहगाई की वजह से घट रहा है । वर्ष 2009 में कुल 32 लाख 46 हजार पेंशनर थे । उन्हें 90 से 1700 रूपये तक प्रतिमाह पेंशन मिल रही थी । पेंशन योजना के सदस्य इससे बहुत पीड़ित हैं । इसके निराकरण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया लेकिन समिति की रिपोर्ट में काफी मतभेद थे इसलिए पेंशनरों को कोई न्याय नहीं मिला ।

संसदीय श्रम एवं रोजगार संबंधी स्थायी समिति ने पेंशन योजना के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें पेंशन फंड में केन्द्र सरकार के अंश की दर बढ़ाए जाने की सिफारिश के साथ ही कुछ और अन्य सिफारिशें भी की गई है । आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन सिफारिशों को लागू किया जाए । वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजना 1995 पर पुनः विचार किया जाए और पेंशनधारियों की मांगों को ध्यान में रखकर पेंशनरों को कम से कम 7500 रूपये की दर से प्रतिमाह पेंशन दी जाए जिससे पेंशन योजना के सदस्यों को न्याय मिल सके तथा पेंशन सुधार करने से पहले मंहगाई भत्ते को संलग्न कर प्रतिमाह 2500 रूपये अंतरिम पेंशन देकर सभी पेंशनरों को राहत दी जाए ।

मैं केन्द्र सरकार से कुछ अन्य मांगों को पूरा करने का अनुरोध करती हूं ः-

अवस्थापना बंद होने के कारण सेवा पूरी न कर पाने वाले पेंशन धारकों को 50 साल की उम्र में 100 प्रतिशत दर से पेंशन देने की मांग पूरी की जाए । पेंशन योजना पुनर्निरीक्षण कर पेंशनरों को उचित लाभ दिया जाए तथा मालिक और सरकार के अंश के लिए 6500 रूपये की वेतन सीमा हटाई जाए । पेंशन योजना लागू करने के लिए निजी क्षेत्रों में 20 और सहकारी क्षेत्रों में 50 न्यूनतम कर्मचारी संख्या का नियम रद्द किया जाए तथा पारिवारिक पेंशन स्कीम 1972 की कुल राशि पेंशन योजना 1995 में जमा की गई है परंतु पेंशन सदस्यों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया है । अतः इसका लाभ सभी पेंशनरों को दिया जाए।